न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :–पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–47/2026

01 सोमा पत्नी श्रवणकुमार जाति बिष्नोई निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर

........प्रार्थीया

बनाम

01 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–17.03.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से खातेदारी शुदा रकबा चक 7 केएलडी खाता सं0 49 मु0नं0 152/21 के किला नं0 18 में 0.2529 है0, 21/2, 22/2 व 23/2 प्रत्येक में 0. 2276 है0 कुल तादादी 0.9357 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का निर्बाध रूप से कब्जा काष्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थीया का नाम सोमा की जगह सीमा दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम सीमा की जगह सोमा दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थीया का नाम सीमा की जगह सोमा अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, बैयनामा, आधारकार्ड, पैनकार्ड की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत बैयनामा में प्रार्थीया का नाम सोमा अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र /प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 केएलडी खाता सं0 49 मु0नं0 152/21 के किला नं0 18 में 0.2529 है0, 21/2, 22/2 व 23/2 प्रत्येक में 0.2276 है0 कुल तादादी 0.9357 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सीमा की जगह सोमा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सीमा नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सीमा नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सीमा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)